



2026:AHC:54483-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 27791/2025

प्रेम चंद्र चौरसिया और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता | : कार्तिकेय दुबे, मन मोहन मिश्रा,<br>रविशंकर चौरसिया |
| प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता  | : शासकीय अधिवक्ता                                    |

---

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकमोहन मिश्रा तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री पंकज श्रीवास्तव को सुना गया।
2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. मामले के सुनवाई हेतु लिए जाने पर, विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम ने आज न्यायालय में एक प्रगति आख्या प्रस्तुत की है, जो अभिलेख पर ली जाती है।
4. याचिकाकर्ता-प्रेम चंद्र चौरसिया एवं 3 अन्य ने वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ उपस्थिति दी है:-

**"अतएव, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक:**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क. प्रत्यर्थी सं. 3 को यह निदेशित करने वाला आवश्यक रिट, आदेश अथवा निदेश परमादेश की प्रकृति में निर्गत किया जाए कि वह, जहां तक याचिकाकर्तागण का संबंध है, एफ.आई.आर. सं. 418/2025 दिनांक 21.10.2025, अंतर्गत धारा 137ज़ेड(2), 87 बी.एन.एस., 2023, थाना-कोतवाली, जनपद-बलिया के संबंध में याचिकाकर्तागण को प्रताड़ित, धमकी अथवा तंग न करे।

ख. प्रत्यर्थी सं.2 एवं 3 को थाना उपहांव बलिया में दर्ज गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट 48/2025 में निष्पक्ष विवेचना संचालित करने हेतु निदेशित करने वाला कोई अन्य रिट, आदेश अथवा निदेश परमादेश की प्रकृति में निर्गत किया जाए।

ग. कोई अन्य रिट, आदेश अथवा निदेश निर्गत किया जाए, जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान वाद की परिस्थितियों में उचित एवं समुचित समझे।

घ. वर्तमान रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।"

5. सर्वप्रथम, राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम ने वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। विद्वान ए.जी.ए. निवेदन करते हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता-प्रत्यर्थी-5, अर्थात् श्रीमती फरजाना खातून को वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम के अनुसार, एफ.आई.आर. से उद्भूत रिट याचिका में, प्रथम सूचनाकर्ता एक आवश्यक तथा उचित पक्षकार है। एफ.आई.आर. को चुनौती देने वाली रिट याचिका में प्रथम सूचनाकर्ता के प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में अनुपस्थिति में, रिट याचिका स्वयं आवश्यक तथा उचित पक्षकारों के असंयोजन के कारण दोषपूर्ण होगी तथा अतएव, खारिज़ किए जाने योग्य होगी।

6. तत्पश्चात् विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि याचिकाकर्तागण वर्तमान रिट याचिका को उद्भूत करने वाली दिनांक 21.10.2025 की एफ.आई.आर. में नामित नहीं हैं। वह, अतएव, निवेदन करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्तागण न तो एफ.आई.आर. में नामित हैं तथा न ही अभिलेख पर कोई दस्तावेज़ है जो यह दर्शाए कि उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या की विवेचना की लंबितता के दौरान प्रश्नगत अपराध में याचिकाकर्तागण की संलिप्तता उभरकर आई है, अतएव याचिकाकर्तागण के इशारे पर वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है। अपने निवेदन को सुदृढ़ करने हेतु, विद्वान ए.जी.ए. ने इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष इजाज़त याचिका (आपराधिक) सं. 762/2020 (हुकुम चंद गर्ग एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य) में पारित दिनांक 07.02.2022 के निर्णय के साथ-साथ इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 6048/2025 (इमरान खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में दिनांक 02.04.2025 को विनिश्चित तथा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 7347/2025 (प्रेमा देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में दिनांक 17.04.2025 को विनिश्चित निर्णयों का उल्लेख किया। उपर्युक्त आधार पर, विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम इस प्रकार निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका पोषणीयता के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त से अवगत कराए जाने पर, याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता इसका खंडन नहीं कर सके।

8. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2 एवं 3 की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम को सुनने के पश्चात, तथा अभिलेख के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि विद्वान ए.जी.ए. द्वारा वर्तमान रिट याचिका के विरोध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, अभिलेख से स्पष्टतः प्रमाणित होती है, इस सीमा तक कि, प्रथम सूचनाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही याचिकाकर्तागण वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका को उद्भूत करने वाली एफ.आई.आर. में नामित हैं, जिसकी प्रति याचिका के उपाबंध-3 के रूप में अभिलेख पर लाई गई है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका असफल होती है तथा खारिज किए जाने योग्य है।

9. यह तदनुसार खारिज की जाती है।

10. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया जाएगा।

17 मार्च, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

(न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)